वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए कहा कि तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में भी उन्होने प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया है इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पर में वर्णित रेवेन्यु रिकार्ड में गलत इन्द्राज की शद्धि की जावे।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई शुद्धि के सन्दर्भ में तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार वजीरपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में वर्णित अशुद्धियां लिपिकिय भूल से होना माना है तथा लट्ठासीट में उक्त अशुद्धियों को शुद्ध किया जाना उचित माना है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर के नक्शासीट में वर्णित खसरा नंम्बर1046/548 के स्थान पर 548,1047/549 के स्थान पर 549,1048/550 के स्थान पर 550 तथा 548 के स्थान पर 1046/548,549 के स्थान पर 1047/549,550 के स्थान पर 1048/550 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार तहसीलदार वजीरपुर को संशोधन हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/5/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर